संख्या-37/2019/582/छप्पन-2019-153/2000

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2019

विषय: राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 15 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 681/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2/2018 (पी), दिनांक 09 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भगत पत्र में अवगत कराया गया है कि राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 17 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या-112/2018/1927/छप्पन-2018-153/2000 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा रू0 26,97,750/- (रूपए छब्बीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ पचास मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निर्गत की गई है । इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सन्दर्भ में मेसर्स एबल एयरोस्पेस सर्विसेज, यू0एस0ए0 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भेजे गए 17 कम्पोनेन्ट्स में से 02 कम्पोनेन्ट्स अनरिपेयरेबल हैं, अत: 15 कम्पोनेन्ट्स रिपेयर/ ओवरहॉल के उपरान्त निदेशालय को वापस किए जांएगे तथा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्राप्त बजटरी इस्टीमेट कोट में बेसिक ओवरहॉल/स्पेशल इन्स्पेक्शन ही सम्मिलित हैं। वास्तविक व्यय फर्म के ओवहॉल फैसिलिटी में कम्पोनेन्ट पहुँचने के पश्चात् स्ट्रिप डाउन इग्जामिनेशन के बाद ही ज्ञात हो पाता है। अत: फर्म ने अपने ई-मेल दिनांक 05 मार्च के द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु फाइनल कास्ट कुल यू0 एस0 डॉलर 179132.92 उपलब्ध कराया है, जो कि भारतीय मुद्रा में रूपए 75/- प्रति यू0एस0 डॉलर की दर से रूपए 1,34,34,969 /- तथा इस धनराशि पर लेटर ऑफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपए 13,43,497/- को सम्मिलित करते हुए कुल रूपए 1,47,78,466/- का भुगतान फर्म को किया जाना है। प्रश्नगत कार्य हेतु अनुषांगिक व्यय के रूप में मेसर्स ओरियन्टल कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ से ट्रांजिट बीमा कराए जाने हेतु रूपए 37,980/- की आवश्यकता है तथा मेसर्स सी0जी0 लॉजिस्टिक प्रा0लि0, नई दिल्ली से 15 कम्पोनेन्ट्स के आयात हेतु कस्टम ड्यूटी/जी0एस0टी0/इम्पोर्ट फ्रीट पर होने वाले व्यय रूपए 10,64,724/- की भी आवश्यकता है। इस प्रकार

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रश्नगत कार्य हेतु कुल 1,58,81,170/- (रूपए एक करोड़ अट्ठावन लाख इक्यासी हजार एक सौ सत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जानी है तथा उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि 26,97,750/- (रूपए छब्बीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ पचास मात्र) को घटाते हुए रूपए 1,31,83,420/- (रूपए एक करोड़ इकतीस लाख तिरासी हजार चार सौ बीस मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जानी है। अत: श्री राज्यपाल राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 15 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहॉल अथवा इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने हेतु कुल रूपए 1,58,81,170/- (रूपए एक करोड़ अट्ठावन लाख इक्यासी हजार एक सौ सत्तर मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या-112/2018/1927/छप्पन-2018-153/2000 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि 26,97,750/- (रूपए छब्बीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ पचास मात्र) को घटाते हुए अवशेष धनराशि रूपए1,31,83,420/- (रूपए एक करोड़ इकतीस लाख तिरासी हजार चार सौ बीस मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त हेलीकाप्टर पर स्थापित 15 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69 दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-231/दस-2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या: 37/2019/582(1)/छप्पन-2019-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ- 10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in